संख्या-4/2025/ 77-1002(001)/1/2024 /002-55

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 11-03-2025

विषय :- टैक्सफेड समूह की बन्द पडी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 519/एसएमएफ/2024-25 दिनांक 29.01.2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 में **लेखाशीर्ष-** "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि./उ.प्र. स्टेट यार्न क.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि./उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान-42-अन्य व्यय" में रू०-57533.00 लाख (मूल बजट रू०-38214.00 लाख + अनुपूरक बजट रू०-19319.00 लाख) का बजट प्राविधान किया गया है।

3- उपरोक्त के क्रम में प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 519/एसएमएफ/2024-25 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि टेक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए देनदारियों के निस्तारण हेतु शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में रू0 38214.00 लाख एवं पूरक बजट के माध्यम से रू0 19319.00 लाख कुल रू0 57533.00 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या 20/2024/329/77-1-2024(1699260) दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से रू० 11719.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 22/2024/77-1099/66/2022/001-334 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम रू0 14300.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 27/2024/77-1099/66/2022/001-866 दिनांक 03.12.2024 रू0 15000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 29/2024/77-1099/66/2022/001-8940 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से रू0 5516.00 लाख (उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम) कुल धनराशि रू0 46535.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इस तरह टेक्सफेड समूह की वित्तीय देनदारियों के निस्तारण हेतु अवशेष धनरशि रू0 10998.00 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

4- उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर द्वारा पत्र संख्या- 179/एसएमएफ/2024-25 दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से अशासकीय देनदारियों के निस्तारण हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	कुल धनराशि	वित्तीय स्वीकृति जारी दिनांक 11.07.2024	वित्तीय स्वीकृति जारी दिनांक 30.07.2024	वित्तीय स्वीकृति जारी दिनांक 02.12.2024	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7 (3-4-5-6)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि0	79.77	79.77	-	-	-
2	बण्ड होल्डर्स की देयतायें	9.27	9.27	-	-	-
3	बाण्ड होल्डर्स की अतिरिक्त देयता	2.80	2.80	-	-	-
4	बाण्ड होल्डर्स की देयतायें मूलधन पर सहमति	1.00	-	1.00	-	-
5	शासकीय संस्थाओं की देयता यूपीएसटीसी/ एसएसएम	2.45	-	2.45	-	-
6	संघ की सदस्य कताई मिलों के कार्मिकों के भविष्य निधि, ब्याज एवं अधिभार की देयतां	139.55	-	139.55	-	-
7	बाण्ड होल्डर्स की देयतायें जो बैठक में उपस्थित नहीं थे।	4.03	-	-	4.03	-
8	सहकारी समितियों एवं अन्य को जारी अंशपत्र।	0.88	-	-	0.88	-
9	अन्य देयों यथा स्टोर्स एवं कच्चे माल की खरीद का बकाया, सिक्योरिटी डिपाजिट के भुगतान हेतु।	255.07	-	-	145.09	109.98
	कुल योग	**494.82**	**91.84**	**143.00**	**150.00**	**109.98**

5- उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 एवं इसकी सदस्य कताई मिलों के अन्य देयों यथा स्टोर्स एवं कच्चे माल की खरीद का बकाया, सिक्योरिटी डिपाजिट एवं अन्य मदों के बकाया हेतु रू0 10998.00 लाख की अवशेष देयता जो संघ के परिचालन के समय से बकाया है। ज्ञातव्य हो कि संघ की सदस्य कताई मिलें वर्ष 2000 से 2010 के मध्य बन्द हो गई है। उक्त बकाये के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से लेनदारों से आवश्यक विवरण सहित क्लेम उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था इसके क्रम में कई लेनदारों द्वारा क्लेम किये जा रहे है आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्लेम न किये जाने की स्थिति में यह धनराशि आरक्षित रहेगी।

6- उपरोक्त से अवगत कराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष बजट प्रावधान रू0 10998.00 लाख के सापेक्ष उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 को रू0 10998.00 लाख (रूपया एक सौ नौ करोड़ अट्ठान्वे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू०-57533.00 लाख (मूल बजट रू०-38214.00 लाख + अनुपूरक बजट रू०-19319.00 लाख) के सापेक्ष लगभग 10998.00 लाख अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि रू0 10998.00 लाख (रूपया एक सौ नौ करोड़ अट्ठान्वे लाख मात्र) को उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया देयों हेतु निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(4) कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2025 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।

(6) उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और मानीटरिंग भी करेंगे।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(8) धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(9) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(10) प्रकरण में राजस्व सम्बन्धी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास विभाग के सुसंगत नियमों तथा विधि व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Negotiation के क्रम में भुगतान से पूर्व बैंकों तथा बाण्ड होल्डर्स संस्थाओं/कम्पनियों के सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत सहमति पत्र प्राप्त हो गयी है।

(12) प्रश्नगत शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया देयताओं सम्बन्धी अन्तिमीकृत धनराशि के सम्बन्ध में Book of Accounts/financial Statements आदि के माध्यम से संतुष्ट होते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस सम्बन्ध में due diligence कर लिया गया है।

(13) अशासकीय देयताओं के सम्बन्ध में विभिन्न stakeholders को किये जाने वाले भुगतान के पूर्व यदि प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल आदि में है तो सम्बन्धित द्वारा वापस ले लिया जाये तथा जो सम्पत्ति liquidation में है उसे प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(14) यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संगत अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा इनमें कोई विधिक अड़चन नहीं है।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 10998.00 लाख (रूपया एक सौ नौ करोड़ अट्ठान्वे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000942 के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या-4(1)/2025/ 77-1002(001)/1/2024 /002-55, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।
उ0प्र0 शासन।

http://sh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।